तारीख हुक्म	... बनाम बाबूलाल वगै. दावा हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मु.नं. - 142/2017
12.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस हेतु अवसर चाहते है। बहस हेतु अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25.01.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
25.01.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 8 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से हो चूकी है। बावजूद तामील आज तक हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 व 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश हो जाने तथा साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र पेश हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा किया गया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.02.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)
17.02.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने ... कर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से ... लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो... फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/02/23 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
142 / 2017	2017 / 0364	19.09.2017	17.02.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

हरफूल उर्फ फूलचन्द पुत्र स्व0 नारायण आयु 42 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी फिरासावाली तन् ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादी——

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र नारायण उम्र 65 वर्ष
2. प्रभूदयाल पुत्र नारायण आयु 62 वर्ष
3. शंकरलाल पुत्र नारायण आयु 67 वर्ष
4. बलदेव पुत्र नारायण आयु 50 वर्ष
5. सुगनचन्द पुत्र नारायण आयु 45 वर्ष
6. कानाराम पुत्र नारायण आयु 38 वर्ष
7. मीरा देवी बेवा कालूराम पुत्र नारायण आयु 50 वर्ष

   समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी फिरासावाली तन् ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण——

उपस्थित :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादीगण [illegible]
श्री रामावतार सैनी–1, एड0 प्रतिवादी नं. 2 का [illegible] अभिभाषक।
श्री धमेन्द्र कुमार गूर्जर, एड0 प्रतिवादी नं. [illegible] 7 की ओर से।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रति[illegible] संख्या 8 की ओर से

17/02/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 3.2700 है0, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.1700 है0, खसरा नम्बर 374 रकबा 2.5100 है0, ख0न0 849 रकबा 0.2200 है0, ख0न0 851 रकबा 0.1900 है0, ख0न0 852 रकबा 0.2600 है0, ख0 न0 853 रकबा 0.1200 है0, ख0न0 854 रकबा 0.3000 है0, ख0न0 855 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 856 रकबा 0.1800 है0, ख0न0 857/1 रकबा 0.2011 है0, ख0न0 858/1 रकबा 0.0167 है0, ख0न0 859/1 रकबा 0.1807 है0, ख0न0 860 रकबा 0.0200 है0, ख0 न0 861 रकबा 0.3300 है0, ख0न0 862 रकबा 0.2300 है0, ख0न0 863 रकबा 0.1900, ख0न0 864 रकबा 0.2700 है0, ख0न0 865 रकबा 0.2100 है0, ख0न0 866 रकबा 0.1200 है0, ख0न0 870 रकबा 0.1900 है0, ख0न0 871 रकबा 0.3000 है0, ख0न0 872/1 रकबा 0.2414 है0 कुल किता 23 कुल रकबा 10.1799 है0 अवस्थित तन ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 राज्य हैं । जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा की वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम अंकित हैं। शेष खातेदारी दीगर खातेदारान के नाम अंकित हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमियों के हिस्सा 1/4 की खातेदारी पूर्व में पिता वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम अंकित रही हैं। इस हिस्सा 1/4 को वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के पिता ससुर नारायण पुत्र लादू कौम माली ने अपने जीवनकाल में ही अपने उक्त 1/4 हिस्सा की भूमियों का बंटवारा वर्ष 1995 में अपने आठों पुत्रों जिनमें वादी एवं प्रतिवादीगण नमबर 1 ता 6 व प्रतिवादी नम्बर 7 के पति स्व0 कालूराम के मध्य कर उक्त बंटवारा अनुसार कब्जा करवा दिया था, ताकि उनकी मृत्यु के बाद [illegible] भूमियों को लेकर उनके पुत्रों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न नहीं [illegible] अपने जीवनकाल में अपने हिस्सा 1/4 की कृषि भूमियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया था कि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ख0 न0 342 रकबा 3.27 है0 में अपने हिस्सा 1/4 की भूमि अपने पुत्रों प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 3 व प्रतिवादीया नम्बर 7 के पति स्व0 कालूराम के हक हिस्सा में रखा गया था। शेष चार पुत्रों में वादी, प्रतिवादीगण नमबर 4, 5, 6 का इस खसरा नम्बर में कोई हक हिस्सा नही रखा गया था। उक्त चार पुत्रों में वादी, प्रतिवादी नमबर 4, 5, 6 को ख0 न0 373 रकबा 0.1700 है0, ख0न0 374 रकबा 2.5100 है0 में 1/4 हिस्सा की भूमि बराबर–बराबर दी गई अर्थात ख0न0 373 व 374 में स्व0 नारायण के नाम अंकित हिस्सा 1/4 हिस्सा की भूमि संपूर्ण वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 के हक हिस्सा में रखी गई थी। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 3 व पति प्रतिवादी नम्बर 7 को कोई हक हिस्सा उन दोनो खसरा नम्बरान में नही रखा गया था और उक्त अनुसार कब्जा काश्त वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 का कायम कर दिया गया। उसी अनुसार कब्जा काश्त पक्षकारान का था, किन्तु प्रतिवादी नम्बर 2 ने खसरा नम्बर 342 में अपना हिस्सा 1/4 अर्थात संपूर्ण ख0न0 में अपने हक हिस्सा में आई भूमि का हिस्सा 1/16 को वर्ष 1998 मे प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय कर कब्जा काश्त प्रतिवादी नमबर 1 का करवा दिया था। इस कारण ख0 न0 342 मे वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम अंकित हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 1/8 पर प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज काश्त हैं तथा 1/16 हिस्सा पर प्रतिवादी नम्बर 3, हिस्सा 1/16 पर प्रतिवादीया नम्बर 7 काबिज काश्त हैं। उक्त खसरा नम्बर से वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं हैं। इसी प्रकार कृषि भूमि ख0 न0 373, 374 कुल किता 2 कुल रकबा 2.68 है0 में वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम अंकित 1/4 हिस्सा से प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 3, 7 का कोई वास्ता किसी किस्म का नही रहा था, न वर्तमान में हैं अर्थात उक्त खसरा नम्बर 373, 374 कुल किता 2.68 है0 पर वादी, प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 बहिस्सा अर्थात 1/16 – 1/16, 1/16 – 1/16 हिस्सा पर काबिज काश्त हैं तथा शेष बचे खसरा नम्बरान वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त 1/4 हिस्सा पर हैं। स्व0 कालूराम को उक्त शेष खसरा न[illegible] कोई हक हिस्सा उक्त बंटवारे में नही दिया गया क्योंकि पक्षकारान [illegible] ख0 न0 910, 911, 912 कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 है0 में स्व0 नारायण पुत्र ल[illegible]म के नाम अंकित हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
17/02/23
दिलीप सिं[illegible]
[illegible] अधिकारी, [illegible]

1/4 में अधिकांश भूमि अकेले कालूराम पुत्र नारायण को दी गई है। शेष प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 को उक्त भूमियों में मात्र 308, 308, 308 वर्गगज के प्लाट दिये गये है और उसी अनुसार कब्जा चला आ रहा हैं। वर्तमान में भूमि ख0न0 373 व 374 के दक्षिण में सडक बन जाने से प्रतिवादीगण के मन में बेइमानी आ गई व अपने पिता के समय किये गये बंटवारे को निरस्त कर वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दे रहे हैं। जबकि पूर्व में हुए बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त होने से वादी ने अपनी भूमि में काफी रूपया खर्च कर उपजाऊ बनाया हैं। इस कारण प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार पूर्व के बंटवारे को नकारने का नहीं हैं। इस कारण वादी, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का भी अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने पिता के जीवनकाल में हुए बंटवारे के अनुसार वादी उक्त कब्जा काश्त अनुसार घोषणा करवाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी ने अपने वादपत्र में घोषणा इस आशय से की जाने का निवेदन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 3.2700 है0, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.1700 है0, खसरा नम्बर 374 रकबा 2.5100 है0, ख0न0 849 रकबा 0.2200 है0, ख0न0 851 रकबा 0.1900 है0, ख0न0 852 रकबा 0.2600 है0, ख0 न0 853 रकबा 0.1200 है0, ख0न0 854 रकबा 0.3000 है0, ख0न0 855 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 856 रकबा 0.1800 है0, ख0न0 857/1 रकबा 0.2011 है0, ख0न0 858/1 रकबा 0.0167 है0, ख0न0 859/1 रकबा 0.1807 है0, ख0न0 860 रकबा 0.0200 है0, ख0 न0 861 रकबा 0.3300 है0, ख0न0 862 रकबा 0.2300 है0, ख0न0 863 रकबा 0. 1900, ख0न0 864 रकबा 0.2700 है0, ख0न0 865 रकबा 0.2100 है0, ख0न0 866 रकबा 0.1200 है0, ख0न0 870 रकबा 0.1900 है0, ख0न0 871 रकबा 0.3000 है0, ख0न0 872/1 रकबा 0.2414 है0 कुल किता 23 कुल रकबा 10.1799 है0 अवस्थित तन ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम अंकित हिस्सा 124 में से भूमि ख0 न0 342 रकबा 3.27 है0 के 1/4 ... का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 व 7 को बहिस्सा बराबर–बराबर ... किया जाकर उक्त ख0 न0 342 के हिस्सा 1/4 से ... प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 का नाम हजफ कर उक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी प्रकार घोषणा इस आशय की जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कि भूमि खसरा नम्बर 373 रकबा 0.1700 है0, ख0न0 374 रकबा 2.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.68 है0 अवस्थित तन ग्राम हांसापुर मे वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 का अकेले वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 6 को बराबर बराबर हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 व 7 का नाम उक्त दोनो खसरा नम्बरान में से उक्त 1/4 हिस्सा से हजाफ कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी प्रकार घोषणा इस आशय की जावे कि भूमि ख0 न0 849 रकबा 0.2200 है0, ख0न0 851 रकबा 0.1900 है0, ख0न0 852 रकबा 0.2600 है0, , ख0 न0 853 रकबा 0.1200 है0, ख0न0 854 रकबा 0.3000 है0, ख0न0 855 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 856 रकबा 0.1800 है0, ख0न0 857/1 रकबा 0.2011 है0, ख0न0 858/1 रकबा 0.0167 है0, ख0न0 859/1 रकबा 0.1807 है0, ख0न0 860 रकबा 0.0200 है0, ख0 न0 861 रकबा 0.3300 है0, ख0न0 862 रकबा 0.2300 है0, ख0न0 863 रकबा 0.1900, ख0न0 864 रकबा 0.2700 है0, ख0न0 865 रकबा 0.2100 है0, ख0न0 866 रकबा 0.1200 है0, ख0न0 870 रकबा 0.1900 है0, ख0न0 871 रकबा 0.3000 है0, ख0न0 872/1 रकबा 0.2414 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 4.22 है0 अवस्थित तन ग्राम हांसापुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 मे वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 का वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीया नम्बर 7 का उक्त खसरा नम्बरान में अंकित हिस्सा 1/32 से नाम हजाफ कर वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को उक्त खसरा नम्बरान में 1/28 – 1/28 हिस्सा का बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। अन्य खातेदार का कोई हक हिस्सा प्रभावित नहीं होने से उनके नाम अंकित खातेदारी उनके नाम दर्ज पूर्ववत् रखी जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी के हक हिस्सा व बाहमी बंटवारे में आई भूमियों के कब्जा [illegible] कोई मुजाहमत न स्वयं करें, न दीगर से करावें। उपरोक्तानुसार खातेदारी [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

13/02/23

दिलीप सिंह
[illegible] अधिवक्ता, श्रीमाधोपुर

जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। दावा वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री रामावतार सैनी–1 एड0 ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी नम्बर 1, 4 ता 7 की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर एड0 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 3 की सम्मन तामील होकर लौटी हैं। वकील प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा बावजूद अवसरों के भी जवाब दावा पेश नहीं किये जाने एंव प्रतिवादी नं. 2 के हाजिर आदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 2 का जवाबदेही का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 8 के बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 व 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी हरफूल उर्फ फूलचन्द का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में बहस सुनी जाकर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 3.2700 है0, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.1700 है0, खसरा नम्बर 374 रकबा 2.5100 है0, ख0न0 849 रकबा 0.2200 है0, ख0न0 851 रकबा 0.1900 है0, ख0न0 852 रकबा 0.2600 है0, ख0 न0 853 रकबा 0.1200 है0, ख0न0 854 रकबा 0.3000 है0, ख0न0 [illegible] 0.4600 है0, ख0न0 856 रकबा 0.1800 है0, ख0न0 857/1 रकबा 0.2011 है0, ख0न0 [illegible]8/1 रकबा 0.0167 है0, ख0न0 859/1 रकबा 0.1807 है0, ख0न0 860 रकबा 0.0200 है0, ख0 न0 861 रकबा 0.3300 है0, ख0न0 862 रकबा 0.2300 है0, ख0न0 863 रकबा 0.1900, ख0न0 864 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

0.2700 है0. ख0न0 865 रकबा 0.2100 है0. ख0न0 866 रकबा 0.1200 है0. ख0न0 870 रकबा 0.1900 है0. ख0न0 871 रकबा 0.3000 है0. ख0न0 872/1 रकबा 0.2414 है0 कुल किता 23 कुल रकबा 10.1799 है0 की वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा वादी के नाम एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम एंव शेष हिस्सा अन्य दीगर खातेदारान् के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमियों का वादी एंव प्रतिवादीगण के पिता/ससुर नारायण पुत्र लादू कौम माली ने अपने जीवनकाल में ही अपने 1/4 हिस्सा की भूमियों का बंटवारा वर्ष 1995 में अपने आठों पुत्रों के मध्य बंटवारा किया जाना प्रकट होता है। जिसके कारण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियॉ वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 व प्रतिवादी नं. 7 के पति स्व0 कालू राम की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु उक्त वादपत्र को पेश किया जाना प्रकट होता है। जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 7 ने वादी के पक्ष में उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादपत्र को स्वीकार किया जाना सिद्ध होता है। जो वादी ने साक्ष्य वादी में अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों से भी वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये इकबालिया जवाब दावा के आधार पर उक्त वादपत्र को स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 का वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीया नम्बर 7 का उक्त खसरा नम्बरान में अंकित हिस्सा 1/32 से नाज हजफ कर वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को उक्त खसरा नम्बरान में 1/28–1/28 हिस्सा का बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमियों की खातेदारी अधिकारों की [illegible] वादी के हक में किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। वादी द्वारा [illegible] किया जाकर वादी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

1/03/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 3.2700 है0, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.1700 है0, खसरा नम्बर 374 रकबा 2.5100 है0, ख0न0 849 रकबा 0.2200 है0, ख0न0 851 रकबा 0.1900 है0, ख0न0 852 रकबा 0.2600 है0, ख0 न0 853 रकबा 0.1200 है0, ख0न0 854 रकबा 0.3000 है0, ख0न0 855 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 856 रकबा 0.1800 है0, ख0न0 857/1 रकबा 0.2011 है0, ख0न0 358/1 रकबा 0.0167 है0, ख0न0 859/1 रकबा 0.1807 है0, ख0न0 860 रकबा 0.0200 है0, ख0 न0 861 रकबा 0.3300 है0, ख0न0 862 रकबा 0.2300 है0, ख0न0 863 रकबा 0.1900 हैक्टर, ख0न0 864 रकबा 0.2700 है0, ख0न0 865 रकबा 0.2100 है0, ख0न0 866 रकबा 0.1200 है0, ख0न0 870 रकबा 0.1900 है0, ख0न0 871 रकबा 0.3000 है0, ख0न0 872/1 रकबा 0.2414 है0 कुल किता 23 कुल रकबा 10.1799 है0 अवस्थित तन ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम अंकित हिस्सा 1/4 में से भूमि ख0 न0 342 रकबा 3.27 है0 के 1/4 हिस्सा का प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 व 7 को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त ख0 न0 342 के हिस्सा 1/4 से वादी [illegible] प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 का नाम हजफ कर उक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता [illegible] तथा इसी प्रकार घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 373 रकबा 0.1700 है0 [illegible] न0 374 रकबा 2.51 है0 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किता 2 कुल रकबा 2.68 है0 अवस्थित तन् ग्राम हांसपुर मे वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 का अकेले वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 6 को बराबर–बराबर हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 व 7 का नाम उक्त दोनो खसरा नम्बरान में से उक्त 1/4 हिस्सा से हजफ कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है तथा इसी प्रकार घोषणा की जाती है कि भूमि ख0न0 849 रकबा 0.2200 है0, ख0न0 851 रकबा 0.1900 है0, ख0न0 852 रकबा 0.2600 है0, ख0 न0 853 रकबा 0.1200 है0, ख0न0 854 रकबा 0.3000 है0, ख0न0 855 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 856 रकबा 0.1800 है0, ख0न0 857/1 रकबा 0.2011 है0, ख0न0 858/1 रकबा 0.0167 है0, ख0न0 859/1 रकबा 0.1807 है0, ख0न0 860 रकबा 0.0200 है0, ख0 न0 861 रकबा 0.3300 है0, ख0न0 862 रकबा 0.2300 है0, ख0न0 863 रकबा 0.1900, ख0न0 864 रकबा 0.2700 है0, ख0न0 865 रकबा 0.2100 है0, ख0न0 866 रकबा 0.1200 है0, ख0न0 870 रकबा 0.1900 है0, ख0न0 871 रकबा 0.3000 है0, ख0न0 872/1 रकबा 0.2414 है0 कुल किता 20 कुल रकबा 4.22 है0 अवस्थित तन ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 से वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 का वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीया नम्बर 7 का उक्त खसरा नम्बरान में अंकित हिस्सा 1/32 से नाम हजफ कर वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को उक्त खसरा नम्बरान में 1/28–1/28 हिस्सा का बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार खातेदारी नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:54 IST
Reason: Self Attested

Rathore
17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested